नैशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कश्मीर में आतंकवाद तथा अलगाववाद को चरम पर पहुंचाया था- भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा चुनावों के लिये जम्मू-कश्मीर का दौरा किया

कठुआ, 23 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी केवल देश को तोड़ने की बात करते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि देश को तोड़ने का काम तो उनके पूर्वजों ने ही कर दिया है। देश में आपातकाल, घोटाले तथा लूट की राजनीति करने वाली कांग्रेस जनता से केवल झूठे वादे करती है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का मुकुट है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था में अद्वितीय सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर में न केवल आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है, बल्कि यहां के लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को ''बनी'' विधानसभा प्रत्याशी जीवन लाल के समर्थन में कठुआ के दुग्गैन तथा दुग्गन सहित विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 का हटना जम्मू-कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। इस फैसले से न केवल कश्मीर में विकास के द्वार खुले हैं बल्कि पूरा देश भी एकजुट हुआ है।

शर्मा ने कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस सरकार ने कभी भी आमजन के हितों की परवाह नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर उन्हें आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंक दिया, और आज वही पार्टियां लोगों के पास वोट मांगने आ रही हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे ऐसी पार्टियों तथा नेताओं से बचकर भाजपा को अपना वोट दें, जिससे घाटी के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें।

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कठुआ में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने जनता से हाथ उठा कर समर्थन मांगा।

- **मुख्यमंत्री ने कहा, ''धारा 370 हटने से जम्मू-कश्मीर में युवाओं को अब रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं।''**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने ''बनी'' विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल के समर्थन में अनेक जनसभाओं का संबोधित किया।**

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला। उनमें से 2.71 लाख से अधिक परिवारों को जम्मू-कश्मीर में यह लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास कार्यक्रम के तहत, जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहां के केसर, भदरवाह राजमश, रामबन सुलाई शहद और उधमपुर के कलाड़ी कुलचा इत्यादि को जी.आई. टैग मिलने से यहां के किसानों के जीवन में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों से इतनी बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह तथा उमंग के साथ अपना समर्थन देने आए हैं, जो यह दर्शाता है कि क्षेत्र में अधिक से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी जीवन लाल को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह, भाजपा के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में

जयपुर, 23 सितंबर। केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे। वे जयपुर में गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के निरीक्षण के साथ ही ''रेल रक्षक'' का भी अवलोकन करेंगे और रेलवे स्टेशन पर प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे।

उल्लेखनीय है कि गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन पर, भारतीय रेलवे द्वारा प्रथम बार 72 गुणा 48 मीटर के एयर कॉनकोर्स हेतु गर्डर लॉन्चिंग की गई है।

- **वैष्णव जयपुर-सवाई माधोपुर के कवच प्रणाली से सुसज्जित रेल्वे ट्रैक का निरीक्षण करेंगे।**

इसके बाद वैष्णव जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलखण्ड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी करेंगे।

सवाई माधोपुर में रेल मंत्री पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मण्डल के सवाईमाधोपुर-इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशनों के मध्य नवस्थापित ''कवच 4.0 प्रणाली'' का ट्रायल रन भी करेंगे।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक ट्रेन में सफर कर इस प्रणाली का ट्रायल करेंगे। इस निरीक्षण के बाद वे सुमेरगंज मंडी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।

उलेखनीय है कि कवच प्रणाली से सुसज्जित यह ट्रैक रेल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जो ट्रेन संचालन को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।

'आर.ए.एस. में ऐसे लोगों को टॉप करवाया, जो पास होने लायक नहीं थे'

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आर.पी.एस.सी. के पूर्व अध्यक्ष दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ व संयज श्रोत्रिय की सी.बी.आई. से जाँच की मांग उठाई

- **मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल को, किरोड़ी लाल मीणा ने 2018 तथा 2021 की आर.एस.एस. परीक्षा के पेपर लीक के सबूतों सहित शिकायत की कापी सौंपी।**
- **शिकायत के अनुसार, उप्रेती ने 2018 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जाँच के समन्वयक की जिम्मेदारी शिव सिंह राठौड़ को दी थी। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के समय सी.सी.टी.वी. कैमरा सहित अन्य निर्धारित मापदंड लागू नहीं किये गये।**

जयपुर, 23 सितम्बर। आर.ए.एस. भर्ती 2018 और 2021 में धांधली के आरोप के साथ ही, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आर.पी.एस.सी. के तत्कालीन अध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीणा ने इन अध्यक्षों की भूमिका पर मिलीभगत करने के आरोप के साथ इनकी शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल को दी है। मीणा ने आर.ए.एस. 2018 और 2021 पेपर लीक को लेकर सबूत भी सौंपे और कहा कि तीन मुख्य पूर्व अध्यक्ष, दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्रिय इसमें शामिल हैं। उन्होंने इनकी भूमिका की जांच सी.बी.आई. या फिर एस.ओ.जी. से कराने की मांग की

इसके अतिरिक्त 2018 के आर.ए.एस. टॉपर की कॉपी को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने तत्कालीन अध्यक्ष दीपक उप्रेती पर संगीन आरोप लगाए। मंत्री मीणा ने कहा कि आर.पी.एस.सी. के तत्कालीन अध्यक्ष दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्रिय ने ऐसे युवाओं को आर.ए.एस. में टॉप करवाया, जो वास्तव में पास होने के लायक तक नहीं थे, अतः इस मामले की सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी शिकायत में कहा कि आर.ए.एस. 2018 की परीक्षा में शिव सिंह राठौड़ की भूमिका संदिग्ध रही है। आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा 28, 29 जनवरी, 2019 को संपन्न हुई थी। उस समय आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन दीपक उत्प्रेती थे। आर.पी.एस.सी. चेयरमैन दीपक उत्प्रेती ने आर.ए.एस. 2018 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने के समन्वयक की अहम जिम्मेदारी शिव सिंह राठौड़ को दी। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम ऑनलाइन एम.डी.एस. विश्वविद्यालय अजमेर में किया गया, जहां उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय सी.सी.टी.वी. कैमरे सहित जो अन्य मापदंड निर्धारित थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया।

मीणा ने कहा कि एम.डी.एस. विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति आर.पी. सिंह को आर.ए.एस. की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जांचने के समय एम.डी.एस. विश्वविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाने, शिक्षक भर्ती और अशैक्षिणक पदों पर भर्ती की अनियमितताओं को लेकर 9 सितंबर, 2020 को ए.सी.बी. ने गिरफ्तार किया था। एम.डी.एस. विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति आर.पी. सिंह ने उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शेखावत को बनाया था। शिवदयाल सिंह की नियुक्ति भी विवादों में रही है।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि आर.ए.एस. 2018 के परिणाम के बाद उत्तर पुस्तिकाओं में कई अभ्यर्थियों द्वारा छोड़े गए प्रश्नों के उत्तर बाद में लिखवाए गए। उदाहरण के तौर पर रोल नंबर 804088 आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र में 30 अंक से अधिक प्रश्नों में / लिखा था। अंकशीट पर उनके अंक शून्य दर्शाए गए, यानी अभ्यर्थी ने परीक्षा के दौरान कुछ प्रश्नों का जवाब ही नहीं लिखा था। जिन्हें जांचने के दौरान परीक्षक ने / लिख दिया।

वहीं, जब अभ्यर्थी अच्छे अंक / रैंक लाने में कामयाब नहीं हुए तो तत्कालीन चैयरमेन शिवसिंह राठौड़ ने आर.ए.एस. 2018 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका अपलोड कराने में जानबूझकर कर देरी की। इस बीच कुछ परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका मुहैया कराकर उनसे छूटे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखवाए गए और फिर उसके बाद उत्तर पुस्तिका को अपलोड कराया गया।

चाइल्ड...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सटीक रूप से दर्शाने के उद्देश्य से 'बाल पोर्नोग्राफ़ी' शब्दावली को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' शब्दावली से प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से पोक्सो में संशोधन लाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि इस संशोधन के लिए फिलहाल सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है।

भारतीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर पदोन्नत किए गए सभी पाँच अधिकारी इन पदों पर सेवा-विस्तार मिलने के बाद आए हैं। एक प्रकरण ऐसा भी था, जब एक अफसर को उस समय जनरल मैनेजर के पद के लिए पदोन्नति दी गई, जब उसकी सेवानिवृत्ति में कुछ ही दिन शेष थे।

जयपुर हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(1) के तहत मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुए विभाग ने स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी किया था। मुनेश गुर्जर की ओर से स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रकरण के तथ्यों, प्राप्त रिपोर्ट और अभियोजन स्वीकृति के आधार पर, मुनेश गुर्जर की संलिप्तता प्रथम दृष्टया जाहिर होती है। ऐसे में महापौर पद के अनुरूप आचरण और व्यवहार नहीं करने और पद का दुरूपयोग करने के कारण राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर के खिलाफ न्यायिक जांच करवाने का फैसला लिया है। वहीं, मेयर पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए, मुनेश गुर्जर को हेरिटेज नगर निगम की महापौर और वार्ड 43 पार्षद पद से निलंबित किया गया है।

ज्ञात रहे कि यह तीसरा मौका है, जब मुनेश गुर्जर को राज्य सरकार ने निलंबित किया है। इससे पहले उन्हें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 अगस्त 2023 और फिर 26 सितंबर, 2023 को निलंबित किया था। हालांकि दोनों बार मुनेश गुर्जर ने राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उनको राहत मिली और वापिस महापौर की कुर्सी पर बैठीं।

देखा जाए तो मुनेश गुर्जर के निलंबन को लेकर यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी तीन बार बयान दिए, लेकिन दो बार तो उसका असर ही देखने को नहीं मिला। गत 10 सितम्बर को तो उन्होंने 24 घंटे में खुशखबरी मिलने का बयान दे दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके बाद 22 सितम्बर को वे सूरजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बोले थे कि ''मुनेश की खबर कल मिल जाएगी'' और निलंबन हो गया।

वहीं दूसरी ओर, मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद राजनैतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अब कार्यवाहक महापौर नियुक्त करने की जद्दोजहद शुरू होगी। इस कार्रवाई को भाजपा सरकार द्वारा शहरी सरकार में बड़े बदलाव की तरफ बढ़ाए गए पहले कदम की तरह देखा जा रहा है।

हैरिटेज नगर निगम जयपुर में अभी निर्दलीयों के सहयोग से कांग्रेस का बोर्ड है। गत 13 माह के कार्यकाल में मुनेश गुर्जर तीसरी बार निलंबित की गई हैं। इस बीच विभाग ने कार्यवाहक महापौर के लिए मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास फाइल भेज दी है।

उधर, कांग्रेस पार्षदों का एक धड़ा फिर से भाजपा के संपर्क में आ गया। सूत्रों के मुताबिक ऐसे 10 पार्षद भाजपा को समर्थन दे सकते हैं। ऐसा हुआ तो कांग्रेस बोर्ड को हटाकर भाजपा बोर्ड बन सकता है। गौरतलब है कि मुनेश गुर्जर ने ए.सी.बी. की चार्जशीट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अगली सुनवाई नवम्बर में है।

'एसएमएस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। यह बहुत ही गंभीर बात है कि साधारण आदमी स्टेडियम में जा नहीं सकता, लेकिन सोसायटी के कुछ लोग उसका उपयोग कर रहे हैं।

अदालत ने एडहॉक कमेटी के अधिवक्ता ए.के. जैन से पूछा है कि कमेटी ने किस पत्र के आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से जवाब का प्रति जवाब देने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की है।

'मेरे पिता कांग्रेस के झंडे में लिपटकर गए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्दर कोई असन्तोष नहीं है लेकिन कुछ अन्दरूनी मुद्दों का समाधान प्रक्रियाधीन है।

इकसठ वर्षीय कांग्रेस नेता सैलजा, जो पार्टी की प्रमुख दलित नेता हैं, ने कहा कि भाजपा नेता उन्हें सलाह देने से बाज आयें।

यह पूछने पर कि वे हरियाणा में प्रचार कब से करेंगी, सैलजा ने कहा : ''बहुत जल्दी, मैं वहाँ होऊँगी।''

सैलजा ने कई भाजपा द्वारा किए गए इन दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि वे पार्टी बदल सकती हैं। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। यह पार्टी मेरे खून में रची-बसी है। मेरे पिताजी अपनी आखिरी साँस तक कांग्रेसी रहे तथा जब उनका निधन हुआ, उनका शव कांग्रेस के झन्डे में लिपटा हुआ था। (एक दिन) सैलजा भी उसी कांग्रेसी झन्डे में लिपटी हुई होगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ।''

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नेता प्रचार में उनकी अनुपस्थिति का उपयोग कांग्रेस पर हमला करने के कारण के रूप में न करें। उन्होंने कहा, ''मेरा राजनैतिक कैरियर बहुत लम्बा रहा है तथा मुझे उन लोगों से कहीं ज्यादा राजनैतिक अनुभव है, जो मेरा नाम ले रहे हैं तथा मेरे द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने की अटकलें लगा रहे हैं।''

सैलजा, जिन्होंने कांग्रेस जीतने की स्थिति में, प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं छुपाया, ने उकलाना (एस.सी.) विधानसभा सीट से टिकट पाने के लिए जोर लगाया था। लेकिन, चूँकि सैलजा अभी-अभी सिरसा लोकसभा सीट जीती हैं, इसलिए कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहती थीं कि वे सिरसा सीट को खाली करें तथा पार्टी ने उनसे पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए कहा था।

12 सितम्बर, जिस दिन कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों की अन्तिम सूची जारी की थी, से सैलजा, वास्तव में ही, हरियाणा में कहीं दिखाई या सुनाई नहीं दीं।

सैलजा ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के जीतने की स्थिति में, वे मुख्यमन्त्री पद की प्रबल आकांक्षी थीं। उन्होंने कहा, ''यह मेरे लम्बे राजनैतिक कैरियर तथा मेरे समर्थकों की शुभकामनाओं के कारण ही सम्भव हुआ है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। समाज के सभी वर्गों का यथेष्ट तथा बराबर प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए।''

इससे पूर्व, शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर, उनके द्वारा आरक्षण पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रहार किया था तथा जोर देते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कोटा को सुरक्षित रख सकता है, तो वह केवल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ही हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा दलित नेता सैलजा के चुनाव प्रचार से दूर रहने की स्थिति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं।

हाल ही में, केन्द्रीय मन्त्री मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को भाजपा में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया था, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट थीं कि वे विधानसभा चुनाव प्रचार से स्वयं को दूर रखे हुए हैं।

आरक्षण पर गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, ''राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि विकास के बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। वे (कांग्रेस) विकास के बाद आरक्षण हटा देंगे।''

शाह ने सभा में उपस्थित जन समूह से पूछा ''हमारा हरियाणा पूरी तरह विकसित राज्य है। आप लोग आरक्षण चाहते हैं या नहीं?''

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए, शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने से पहले, सरकारी नौकरियाँ ''खर्ची''(रिश्वत) या ''पर्ची''(पक्षपात) के बिना नहीं दी जाती थीं।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ही है, जिसने सरकारी नौकरियाँ पारदर्शी तरीके से दी हैं।

तिरुपति का लड्डू अयोध्या का स्थान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लड्डू बनाने में नहीं हुआ था। कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जुलाई से लेकर अब तक इस रिपोर्ट के बारे में आंध्र सरकार एवं टी.टी.डी. चुप क्यों थे।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों को लगता है लड्डू विवाद, जिसे राजनेताओं का एक वर्ग हवा दे रहा है, के दो लक्ष्य है, एक तो यह कि क्षेत्रीय दल वाय.एस.आर. सी.पी. को धार्मिक भावनाएं उभारकर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि आंध्र की जनता तो सबूत के बिना भी इस दावे पर भरोसा करती दिख रही है और दूसरा लक्ष्य मंदिर पर सरकार के नियंत्रण से सम्बंधित है। एक समानान्तर प्रयास मंदिर को सरकार के नियंत्रण से निकाल कर खुद के नियंत्रण में लेने का चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर, लड्डू विवाद ने भाजपा को हिंदुत्व का नया मुद्दा दे दिया हैं क्योंकि राम मंदिर से अब फायदा नहीं मिल रहा है और जिस तरह से आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना के प्रमुख, फिल्म स्टार पवन कल्याण अपनी हरकतों से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, उससे यह बात साफ है। ज्ञातव्य है कि पवन कल्याण ने ही भाजपा-टी.डी.पी. और जनसेना का गठबंधन करवाया था।

उन्होंने 11 दिन का उपवास शुरु कर दिया है, जिसका भारी प्रचार किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर राष्ट्रीय सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की बात की जा रही है, जिससे भाजपा को देश भर में हिंदुओं की भावनाएं उभारने का बड़ा अवसर मिल गया है।

इसका भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों में तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आगे चलकर यह विवाद भाजपा व उसके सहयोगियों को देश भर में हिन्दुत्व भावनाएं उभारने में मदद देगा क्योंकि हाल ही में भाजपा का वोटर भाजपा से खिसक कर विपक्ष की ओर झुकता नज़र आया है।

आंध्र प्रदेश में इस विवाद से वह लॉबी सक्रिय हो गई है जो मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना चाहती है। भाजपा की भी लम्बे समय से यह मांग रही है क्योंकि दक्षिण भारत में देश के कुछ सर्वाधिक समृद्ध मंदिर हैं।

अब कई हिंदू संगठन, जो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, और भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी इस लड़ाई में आगे आ गए हैं। सोमवार को स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि तिरुपति लड्डू के निर्माण में जानवरों की चर्बी के कथित इस्तेमाल की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में करवाए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार को मामले का सारा ब्यौरा पेश करने को कहे। स्वामी और आर.एस.एस. तथा विश्वहिन्दू परिषद जैसे संगठन मांग करते रहे हैं कि मंदिरों का संचालन गैर सरकारी संगठनों को दिया जाए, ये संगठन मंदिर प्रशासन बेहतर तरीके से चलाएंगे। संघ ने अपना दांव भाजपा के मार्फत खेला है।

'क्या युवा प्रोफैशनल्स में वाकई में ''इनर स्ट्रैन्थ'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अर्न्स्ट एण्ड यंग में काम करने वाली युवा प्रोफैशनल ने भी इसी तरह का अति दुष्कर काम चुना और स्पष्टतया बुरी तरह थक गई। उसकी मां ने प्रधानमंत्री को इसके बारे में लिखा था, जिसके बाद पूरा घटनाक्रम सार्वजनिक हुआ।

वित्त मंत्री की सलाह शायद इस नारे से प्रभावित है कि अगले तीन/चार साल में भारत विश्व की तीसरे नम्बर की इकोनॅमी होने जा रही है, अतः युवा पीढ़ी पर, प्रोफैशनल जिम्मेवारियों का प्रेशर तो बढ़ेगा और इस दबाव को भारत सफलता से झेल लेगा, यह छवि विश्व में बनना जरूरी है, विदेशी पूँजी को भारत लगातार आने के लिये प्रेरित करते रहने के लिये।

सीतारमन ने युवा प्रोफेशनल्स पर पड़ रहे काम के भारी दबाव तथा शारीरिक व मानसिक दबाव के प्रति भारी असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने तो मैनेजमैंट ''गुरु'' जैसी भूमिका की भी सिफारिश की है। मैनेजमैंट और मैनपावर डवलपमैंट के आधुनिक विशेषज्ञों की तरह, जिनमें बहुत सारे भारतीय भी हैं- रोज़मर्रा के भारी दबावों को झेलने के लिए योग तथा आध्यात्म के मूल्यों की बात की जा रही है।

सीतारमन ने भी इसी तरह की भूमिका अख्तियार करते हुए कहा कि ''जो भी पढ़ाई या नौकरी आप करें, आपके अंदर प्रैशर्स को झेलने की आंतरिक शक्ति होनी चाहिए।'' यह उन भाषणों की तरह ही है, जो हम आए दिन आध्यात्मिक गुरुओं के मुँह से सुनते हैं। सीतारमन ने शिक्षा प्रणाली को लेकर भी सलाह दी। उन्होंने कहा, ''शैक्षणिक संस्थाओं को विविधता तथा आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहिए। तब हमारे बच्चों को आंतरिक शक्ति मिलती है।'' दुःखद घटना घटित होने के बाद आध्यात्मिकता की बड़ी-बड़ी बातों को केवल मानसिक विलासिता कह सकते हैं।

उस पीड़िता के लिये यह परोक्ष उपदेश है कि उसने अपनी तथाकथित ''आंतरिक शक्ति'' क्यों खो दी तथा शारीरिक थकान से हार मान गई। जाहिर है कि युवा पीड़िता के मां-बाप को यह उपदेश बहुत अच्छा नहीं लगेगा।

261 करोड़ वसूली के मामले में बैंक को राहत, जे.डी.ए. की नीलामी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सम्पत्ति पर यथास्थिति के आदेश दिए और राज्य सरकार से जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर 23 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक को राहत देते हुए आगरा रोड जामडोली के समीप 40 एकड़ की जमीन की लीज़ रद्द करने और पुनः नीलामी करने के जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) के आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार से भी इस प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इस 40 एकड़ जमीन को राज्य सरकार के आदेश पर जे.डी.ए. ने वर्ष 2006 में मैसर्स नेसा लैज़र लिमिटेड को ''कैम्बे गॉल्फ कोर्स'' बनाने के लिए आवंटित की थी। परंतु इस कंपनी ने गॉल्फ कोर्स के बजाय पांच सितारा होटल बनाना शुरू कर दिया। कंपनी ने एक्सिस बैंक समेत कई बैंकिंग संस्थाओं से करोड़ों रु. का ऋण लिया था। गौरतलब है कि अकेले एक्सिस बैंक से ही 175 करोड़ रु. का ऋण लिया था, जो आज तक नहीं चुकाया गया, ऐसे में ब्याज समेत यह राशि बढ़कर 261 करोड़ रु. पहुंच गई है। मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज और मैसर्स नेसा लैज़र लि. की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता आशुतोष भाटिया पैरवी के लिए पेश हुए थे।

इस मामले के तथ्यों के अनुसार, जे.डी.ए. द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर जयपुर-आगरा रोड पर जामडोली में यह 40 एकड़ जमीन मैसर्स नेसा लैज़र को वर्ष 2006 में दी थी। जे.डी.ए. ने इस कैम्बे गोल्फ कोर्स बनाने के लिए इस कंपनी को जमीन लीज़ पर दी थी। शर्तों के अनुसार कंपनी को 3 साल के भीतर कम से कम 60 करोड़ रु. का निवेश करना था और ''9-होल'' गॉल्फ कोर्स, गॉल्फ अकेडमी, कॉफ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्वीमिंग पूल, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल, बिजनेस लॉन्ज़ समेत कई तरह की सुविधाएं विकसित करेगी। परंतु इस कंपनी ने वर्ष 2008 में केन्द्रीय पर्यटन विभाग से इस जमीन पर पांच सितारा होटल बनाने की परमिशन लेने के लिए आवेदन कर दिया। इस होटल को बनाने के लिए मैसर्स नेसा लैज़र ने एक्सिस बैंक समेत कई बैंकिंग संस्थाओं से करोड़ों रु. का ऋण लिया।

- **गौरतलब है कि जयपुर में आगरा रोड जामडोली में 40 एकड़ जमीन जे.डी.ए. ने मैसर्स नेसा लैज़र लिमिटेड को वर्ष 2006 में ''गॉल्फ कोर्स'' बनाने के लिए आवंटित की थी। परंतु इस कंपनी ने पांच सितारा होटल बनाना शुरू कर दिया।**
- **कंपनी ने एक्सिस बैंक समेत कई बैंकिंग संस्थाओं से करोड़ों रु. का ऋण लिया था। अकेले अपीलार्थी एक्सिस बैंक से ही 175 करोड़ रु. का ऋण लिया था, जो आज तक नहीं चुकाया गया, ऐसे में ब्याज समेत यह राशि बढ़कर 261 करोड़ रु. पहुंच गई है।**
- **जयपुर विकास प्राधिकरण ने आवंटन शर्तों की अवहेलना पर वर्ष 2017 में यह लीज़ रद्द कर दी थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट में एक्सिस बैंक और मैसर्स नेसा लैज़र ने चुनौती दी।**
- **सुनवाई के दौरान अपीलार्थी बैंक की ओर से अदालत में कहा गया कि ''सारफेसी एक्ट के तहत बैंक का ऋण वसूली अधिकार, जे.डी.ए. के अधिकार से ऊपर है।''**
- **अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ''जे.डी.ए. एक्ट की धारा 54डी के तहत प्राधिकरण स्वतः लीज़ रद्द नहीं कर सकता, यह अधिकार सिविल कोर्ट का है।''**

इस प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि, जे.डी.ए. ने इस जमीन पर गॉल्फ कोर्स के बजाय होटल का निर्माण होने पर कंपनी को नोटिस दिया। कम्पनी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर वर्ष 2017 में जे.डी.ए. प्रशासन ने इस जमीन की लीज़ रद्द कर दी थी। लीज़ रद्द करने के आदेश को कंपनी ने पहले जे.डी.ए. ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली।

इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ में भी अपील की, लेकिन वहां भी कंपनी के पक्ष में कोई निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में अब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष पहुंचा है।

इस मामले में अपीलार्थी के वकील का कहना है कि सारफेसी एक्ट के तहत बैंक एक ''सिक्योर्ड क्रेडिटर'' (सुरक्षित लेनदार) है और इस वजह से बैंक को अपनी ऋण वसूली का हक जे.डी.ए. से पहले है।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि, जे.डी.ए. एक्ट की धारा 54डी में जयपुर विकास प्राधिकरण के पास विस्तृत अधिकार हैं, जिसके तहत वह लीज़ रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। उल्लेखनीय है कि जे.डी.ए. किसी भी संपत्ति की लीज़ रद्द करने के लिए इस धारा में वर्णित कारणों को उद्धृत करते हुए लीज़ रद्द के लिए मुकदमा दायर कर सकती है।

अदालत ने जे.डी.ए. के अधिवक्ता से पूछा कि, क्या विकास प्राधिकरण ने लीज़ रद्द करने की कार्रवाई धारा 54डी के तहत की थी। इस पर अधिवक्ता ने नकारात्मक जवाब देते हुए कहा कि आवंटन शर्तों की अवहेलना पर जे.डी.ए. ने स्वतः लीज़ रद्द करने कार्रवाई की थी। अदालत ने इस पर कहा कि धारा 54डी के तहत लीज़ रद्द करने की कार्रवाई अदालत कर सकती है, जे.डी.ए. स्वयं यह कार्रवाई नहीं कर सकता। अदालत ने इस प्रकरण में अंतरिम स्टे देते हुए कहा कि राज्य सरकार इस प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत करें।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंभ्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908